न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः–सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या :– 137 / 2024

प्रार्थीः–

रमेश कुमार पुत्र अमराराम जाति कलबी निवासी सरवड़ी चारणान तहसील समदड़ी जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीः–

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारंक तहसीलदार समदड़ी जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

श्री नेहपालसिंह प्रार्थी वकील

–:: आदेश ::–

दिनांकः–18.07.2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत पेश किया है। संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 284 रकबा 01.8130 हैक्टेयर ग्राम सरवड़ी चारणान तहसील समदड़ी में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा हैं। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात–यथा राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस व किसान केडिट कार्ड आदि में उसका वास्तविक नाम ''रमेश कुमार'' ही दर्ज है, किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम रमेश कुमार के स्थान पर 'रमेशचंद्र' लिख दिया। इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार समदड़ी के पत्र कमांक–भू.अ./2025/1000 दिनांक 09.06.2025 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की। प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य में अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस व किसान केडिट कार्ड की प्रति प्रस्तुत किये। प्रार्थी के समर्थन में अमराराम पुत्र हरचंदजी के बयान कलमबद्ध करवाये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.09.05 16:07:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी के समस्त राजकीय दस्तावेज यथा कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस व किसान केडिट कार्ड में प्रार्थी का वास्तविक नाम ''रमेश कुमार'' दर्ज है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि ग्राम सरवडी चारणान तहसील समदड़ी के खसरा 284

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

रकबा 01.8130 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम "रमेशचंद्र" लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार समदड़ी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस व किसान केडिट कार्ड आदि दस्तावेजात में उनका नाम रमेश कुमार दर्ज है, किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी का नाम रमेशचंद्र दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार समदड़ी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम रमेश कुमार होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में उनका नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सरवडी चारणान तहसील समदड़ी की खसरा संख्या 284 रकबा 01.8130 हैक्टैयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम 'रमेशचंद्र' के स्थान पर 'रमेश कुमार' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार समदड़ी को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 18.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.09.05 16:07:32 IST
Reason: SelfAttested